इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी 2018—माघ 20, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 9 फरवरी 2018

शुद्धि पत्र

क्रमांक सात-ठेका-2018-19-136.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 80, दिनांक 1 फरवरी 2018 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक सात-ठेका-2018-19-416, में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2018-19 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 80, दिनांक 1 फरवरी 2018 के पेज क्रमांक 160(30) में मुद्रित कंडिका 25 को निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

"वर्ष 2019-20 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों का नवीनीकरण द्वारा निष्पादन.

वर्ष 2018-19 के लिये निष्पादित देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2019-20 के लिये शासन द्वारा निर्धारित मूल्य एवं नीति अन्तर्गत नवीनीकरण द्वारा निष्पादन किया जावे."

अरुण कोचर, आबकारी आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.